29/01/16

पत्रावली मूल दस्ता डिक्री विरुद्ध अपील में प्रस्तुत हुई पूर्व मूल दस्ता वाले हाल डिक्री कार्यालय जब्त चुका है इसलिए स्थगन आदेश पालन का कोई औचित्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता स्थगन आदेश योग्य है। अतः आदेश स्थगन आदेश उठाने के आदेश दिए जाते हैं। मिसिल कोर्ट शुमार होकर नंबर से काम हो।

उपखण्ड अधिकारी, दासारामगढ

पदनाम